Environment (Protection) Amendment Rules, 1991.

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय): महोदया, मैं श्रीमती मेनका गांधी की ओर से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अधीन पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 1991 को प्रकाशित करने वाली पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० सं० 23(अ), दिनांक 16 जनवरी, 1991 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी) में) सभा पटल पर रखता हूं। [Placed in Library. See No LT-2309/91]

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu): What happened to her?

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra): Madam, I have an objection. Can a Minister, who is a male person, lay on behalf of a lady Minister? (*Interruptions*) Because it is the problem of laying. How can he lay? (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Kulkarni, in this Parliment, as Deputy Chairman, I have seen many things being laid—both by men and women. (*Interruptions*)

I. Indian Telegraph (Fourth Amendment) Rules, 1990.

II. Indian Post Office (First Amendment) Rules, 1991.

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० संजय सिंह): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

I. भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन भारतीय तार (चतुर्थ संशोधन) नियम, 1990 को प्रकाशित करने वाली संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अधिसूचना सा०का०नि० सं० 985 (अ), दिनांक 28 दिसम्बर, 1990 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)। [Placed in Library. See No. LT 2310/91]

II. भारतीय डाकघर (प्रथम संशोधन) नियम, 1991 को प्रकाशित करने वाली संचार मंत्रालय (डाक सेवा बोर्ड) की अधिसूचना साऊकाऊनिऊ सं० 3(अ), दिनांक 1 जनवरी, 1991 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)। [Placed in Library. See No. LT-2311/91]

Inidan Nursing Council (Pension-Family Pension-cum General Provident Fund-cum-Retirement Gratuity) Regulations, 1989

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE AND DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI DASAI CHOWDHARY): Madam, I beg to lay on the Table, under sub-section (3) of section 16 of the Indian Nurising Council Act, 1947, a copy (in English and Hindi) of the Ministry of Health and Family Welfare Notification No. 2-1/75-INC, dated 30th December, 1989, publishing the Indian Nursing Council (Pension/Family Pension-cum General Provident Fund-cum-Retirement Gratuity) Regulations, 1989. [Placed in Library. See No. LT-2312/91]

I. Annual Pool Fund Accounts (1988-89, 1989-90 of the Coffee Board, Bangalore and related papers.

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री [श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल]: महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं :—

I. 1988-89 के वर्ष के लिए कॉफी बोर्ड बंगलौर के वार्षिक पूल निधि लेखे और उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।